News item 'When Justice becomes Casualty'

1483. SHRI N. K. P. SALVE:

SHRI SWAMI DINESH CHANDRA:

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news items published in the 'Indian Express' of December 20, 1981 under the caption 'When Justice becomes casualty'; and

(b) if so, what action Government propose to take to remedy the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): (a) The new item captioned 'When Justice becomes casualty' does not appear in the 'Indian Express' of December, 20, 1981 (Delhi Edition).

(b) Does not arise.

जनगणना के कार्य के लिए भर्ती किए गए कर्मचारी

1484. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981 के जनगणना कार्य के लिए भर्ती किए गए कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों को बाद में विभिन्न सरकारी कार्यालयों में नौकरियां दे गई थीं ;

(ख) 1981 की जनगणना के कार्य के लिए भर्ती किए गए कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों को बाद में विभिन्न सरकारी कार्यालयों में नौकरियां दे दी गई और शेष कर्मचारियों को खपाने के लिए कौनसी योजनायें विचाराधीन हैं ; और

(ग) जनगणना का कार्य करते हुए जिन कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा पूरी हो गई उनके बारे में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) विभिन्न सरकारी कार्यालयों में पदों पर सारे देश में भर्ती भिन्न-भिन्न समय पर, अलग-अलग स्रोतों और प्रणालियों के माध्यम से अनेक नियोक्ता अधिकारियों द्वारा की जाती है और ऐसी कोई केन्द्रीकृत एजेंसी नहीं है जिससे यह सूचना उपलब्ध की जा सके । अतः खेद है कि यह सूचना प्रस्तुत की जाना संभव नहीं है ।

(ख) अस्थायी जनगणना कर्मचारियों की छंटनी हाल ही में आरम्भ की गई है और अधिकांश मामलों में 28 फरवरी, 1982 से ऐसा संभावना नहीं कि इतनी जल्दी काफी व्यक्तियों को अन्य सरकारी नौकरियों में खपा लिया गया हो । इसके अतिरिक्त (क) में उल्लिखित कारणों से भी ऐसी कोई केन्द्रीय एजेंसी नहीं है जिससे ऐसी सूचना प्राप्त की जा सके । इस प्रकार छंटनी किए गए कार्मिकों के पुनर्वास में यथासंभव सहायता करने के लिये रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों में उच्च अग्रता और आयुसीमा में छूट देने जैसे कदम उठाए गए हैं । राज्य और केन्द्रीय प्रशासन सहित सभी सरकारी एजेंसियों से यह भी अनुरोध किया गया है कि छंटनी किए गए कर्मचारियों को रोजगार देने में सहायता करें ।

(ग) नियमों के अधीन छंटनी किए गए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जिन्होंने सरकार के अधीन लगातार छः मास से अधिक की सेवा की है और उनको स्थापना में कमी होने के कारण सेवा से हटा दिया गया है वे